[Shri Ravindra Varma]

wants discussion on all, and it does not stand in the way of the Opposition raising any question on any Ministry, but within the time, as is known and as has been the practice, a certain priorify has been accorded. I infinitely regret, therefore, that my hon. friend has used the words 'conveniently excluded'. It is not for the convenience of the Government that anything has been exclued. I am sorry for these remarks.

If time can be found, we on our part will have no objection to the Communications Ministry being discussed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 8th March, 1978."

The motion was adopted

13.46 hrs.

PASSPORTS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Passports Act, 1967.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Passports Act, 1967."

The motion was adopted

SHRI S. KUNDU: I introduce the Bill.

13.47 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REGULATION OF TELEPHONE OPERATORS BY DELHI TELEPHONE AUTHORITIES

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत संचार मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों ने जून, 1976 में टेलीफोन ओपरेटर्स की बहाली के लिये एक परीक्षा ली। परीक्षा के परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई और उनमें से जिनके अंक अच्छे थे उनको नौकरी के लिये तुरन्त बुलाया गया, लेकिन जिनके अंक कम थे उनको शोर्ट ड्यूटी ओपरेटर्स की नौकरी पर जांइन करने के लिये बुलाया गया इस आधार पर कि 6 महीने में 120 दिन काम करने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जायगा। ऐमप्लायमेंट बहाली पत्र लैटर नम्बर 69/1976 में भेजे गये और करीब 100 लड़कियों और शोर्ट ड्यूटी टेलीफ़ोन ओपरेटर्स ने दिसम्बर, 1976 में जवाइन किया। मार्च 1977 में दिल्ली टेलीफ़ोन अधिकारियों ने टेलीफ़ोन ओपरेटर्स की एक दूसरी परीक्षा की और उसके अनुसार बहुत से उम्मीदवारों को चुन लिया गया। लेकिन यह एक आश्चर्यजनक बात है कि उक्त टेलीफोन ओपरेटर्स जो दिसम्बर, 1976 में जवाइन किये वह अब तक नियमित नहीं हो पाये, परन्तु जो मार्च 1977 में जौइन किये उन्हें नियमित कर दिया गया। इस प्रकार वह उनसे वरिष्ठ हो गये। यह एक बड़े आश्चर्य की बात हुई है कि बिना कारण वे लड़कियां जिन्होंने दिसम्बर, 1976 में नौकरी जवाइन की रेगुलर न हो पायीं। इसलिये संचार मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस पर वह ध्यान दें और यथाशीघ्र उन लड़कियों को रेगुलर करा दें।

---

*Published in Gazezttze of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 9-3-78.